

1. पीपीपी/निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए बकाया राशि के भुगतान में देरी पर पेनल्टी चार्ज

क्र. सं.	कारण	क्वांटम
1.	बकाया राशि (मूलधन/ब्याज/शुल्क/कमीशन आदि) के भुगतान में देरी	3.00% प्रति वर्ष
2.	अगर इंड-एस के अनुसार उधारकर्ता/परियोजना को 'चरण-2' श्रेणी में डाउनग्रेड किया जाता है, तो खाते के डाउनग्रेड होने की तारीख से लेकर उसके अद्यतन होने तक जोखिम शुल्क लगाया जाएगा।	0.25% प्रति वर्ष
3.	अगर इंड-एस के अनुसार उधारकर्ता/परियोजना को चरण -3 श्रेणी (एनपीए) में डाउनग्रेड किया जाता है, तो खाते के डाउनग्रेड होने की तारीख से लेकर उसके अद्यतन होने तक जोखिम शुल्क लगाया जाएगा।	0.35% प्रतिवर्ष
4.	अगर लोन की अवधि के दौरान किसी उधारकर्ता की IR रेटिंग IR3 से नीचे गिर जाती है, तो हडको IR3 वाले उधारकर्ता पर लागू दरों के अलावा अतिरिक्त ब्याज दर लगा सकता है।	IR4 के लिए 0.25%, IR5 के लिए 0.50%, IR6 के लिए 0.75%

2. पीपीपी/निजी क्षेत्र ऋण को समय से पहले बंद करने पर पूर्व-भुगतान शुल्क

अगर उधारकर्ता तय तारीख से पहले ऋण सुविधा को बंद (प्री-क्लोजर) करता है, तो 2% पूर्व-भुगतान शुल्क लगाया जाएगा। अगर हडको के कहने पर ऐसा किया जाता है, तो पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाया जाएगा।